भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *352

जिसका उत्तर 19 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राजस्थान की नहरों में प्रदूषित जल

***352. श्री हनुमान बेनीवालः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हरिके बैराज से राजस्थान की नहरों में आने वाला पानी पंजाब के उद्योगों के अपशिष्टों के बहिस्र्त्राव के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान की नहरों में औद्योगिक अपशिष्टों के बहिस्र्त्राव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं क्योंकि पानी को फिल्टर करने के बाद भी रह जाने वाली अशुद्धियों से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'राजस्थान की नहरों में प्रदूषित जल' के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *352 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): पंजाब में ब्यास नदी हरिके बैराज के पास सतलुज नदी से मिल जाती है। संगम के उपरांत, पानी के बड़े हिस्से को दो नहरों नामत: इंदिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर) और फिरोजपुर फीडर में मोड़ दिया जाता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सतलुज नदी की जल गुणवत्ता लुधियाना (बुढ्ढा नाले के माध्यम से), जालंधर और फगवाड़ा (पूर्वी बेसिन के माध्यम से) सहित पंजाब के शहरों और कस्बों से निकलने वाले अशोधित/आंशिक रूप से शोधित सीवेज और औद्योगिक बहिस्रावों को छोड़े जाने के कारण खराब हो जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के साथ मिलकर सतलुज नदी, ब्यास नदी, राजस्थान नहर, बुढ्ढा नाला और पूर्वी बेसिन नाले की जल गुणवत्ता की समय-समय पर निगरानी करता है।

इंदिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर) और हरिके बैराज में फिरोजपुर फीडर नहर की जल गुणवत्ता की निगरानी अप्रैल, 2024 के दौरान सीपीसीबी द्वारा पीपीसीबी के सहयोग से की गई थी। भौतिक-रासायनिक, जैविक और भारी धातु मानदंडों के आधार पर इन दोनों नहरों से एकत्र किए गए नमूनों के विश्लेषित परिणामों को **अनुलग्नक** में दिया गया है।

विश्लेषित परिणामों से पता चलता है कि इंदिरा गांधी नहर के पानी की गुणवत्ता पारंपरिक शोधन और कीटाणुशोधन के बाद निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग मापदण्ड अर्थात पेयजल स्रोत के जल गुणवत्ता मानदंड की 'ग' श्रेणी के अनुसार है। जबकि, फिरोजपुर फीडर नहर की जल गुणवत्ता, जैव रसायन ऑक्सीजन मांग (बीओडी) की दृष्टि से (क्योंकि बीओडी 3 मिलीग्राम/लीटर अथवा इससे कम के मानक की तुलना में 5 मिलीग्राम/लीटर पायी गयी थी) निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग की जल गुणवत्ता मानदंड की ग श्रेणी के मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रही है।

(ग): नदियों की सफाई/पुनरुद्धार एक सतत प्रक्रिया है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों का प्राथमिक दायित्व है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में डिस्चार्ज करने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीवेज और औद्योगिक बहिस्त्रावों का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें। यह मंत्रालय देश में नमामि गंगे कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से गंगा बेसिन में नदियों/सहायक नदियों में प्रदूषण उपशमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता रहा है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं शहरी स्थानीय निकायों को सीवरेज अवसंरचना सृजन में सहायता कर रही हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम के अनुसार, अनुपालन के लिए शहरी स्थानीय निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निदेश देता रहता है।

पंजाब की राज्य सरकार ने लगभग 650 करोड़ रुपये की लागत से बुड्ढ़ा नाला संरक्षण परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना के अंतर्गत, 285 एमएलडी के दो नए एसटीपी स्थापित किए गए हैं। 418

एमएलडी के 4 पुराने एसटीपी का पुनरुद्दार किया गया है। डेयरी अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए 6 एमएलडी क्षमता के 2 अपशिष्ट उपचार संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए लुधियाना में 105 एमएलडी के 3 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदूषित नदी खण्डों के संबंध में समय-समय पर आदेश जारी किए हैं। मूल आवेदन संख्या 673/2018 में, एनजीटी ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में चिन्हित किए गए देश में प्रदूषित नदी खण्डों के संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। निर्देशानुसार, उक्त कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय स्तर पर की जानी है। इन आदेशों के अनुपालन में राज्यों ने अपनी कार्य योजना तैयार करवा ली है और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवा ली है। मॉनीटरिंग के लिए, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मॉनीटरिंग समिति (सीएमसी) का गठन किया गया है। अब तक इस केंद्रीय मॉनीटरिंग समिति की 19 बैठकें हो चुकी हैं।

*****

अनुलग्नक

"राजस्थान की नहरों में प्रदूषित जल" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *352 भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

निगरानी की गई नहरों के जल की गुणवत्ता के विश्लेषित परिणाम

क्र. सं.	मापदण्ड	इंदिरा गांधी नहर	फिरोजपुर फीडर
1	घुलित ऑक्सिजन, मिलीग्राम/ली	6.9	6.5
2	पीएच	7.9	7.6
3	बीओडी, मिलीग्राम/ली	2.3	**5**
4	सीओडी, मिलीग्राम/ली	7	14
5	क्लोराइड, मिलीग्राम/ली	32	48
6	टीसी, एमपीएन /100 मिलीलिटर	$17x10^2$	700
7	एफ़सी, एमपीएन/100 मिलीलिटर	$22x10^2$	$17x10^2$
8	आर्सेनिक, मिलीग्राम/ली	बीडीएल	बीडीएल
9.	कैडमियम, मिलीग्राम/ली	बीडीएल	बीडीएल
10.	क्रोमिअम, मिलीग्राम/ली	बीडीएल	बीडीएल
11.	कोबाल्ट, मिलीग्राम/ली	बीडीएल	बीडीएल
12.	कॉपर, मिलीग्राम/ली	बीडीएल	बीडीएल
13.	लोहा, मिलीग्राम/ली	0.99	0.61
14.	लीड, मिलीग्राम/ली	0.02	बीडीएल
15.	मेगनीस, मिलीग्राम/ली	0.08	0.08
16.	निक्कल, मिलीग्राम/ली	बीडीएल	बीडीएल
17.	ज़िंक, मिलीग्राम/ली	बीडीएल	बीडीएल

बीडीएल: पता लगाने योग्य सीमा से कम

*****